रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238385
CG-DL-E-25082022-238385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944
No. 579]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 655(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2016 को इन बातों के सिवाय अधिक्रंत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर आदि.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह की संविदा की है; या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आदेश देकर, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महानिदेशक	01(2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 15 (रुपए 182200/-224100/-)	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति।	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्तिः** 1. नागर विमानन महानिदेशालय कार्यालय में संयुक्त महानिदेशक के पद को धारण करने वाला व्यक्ति जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200/ - 218200/रू.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ विभागीय उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा तथा यदि नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो पद को प्रोन्नति पर भरा हुआ माना जाएगा। **2. प्रतिनियुक्तिः-** (क) अखिल भारतीय सेवा सहित केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ-राज्यक्षेत्र के अधिकारीगण।

			(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा (ii) नियमित नियुक्ति के पश्चात स्तर-14 (144200/- - 218200/- रुपये) में तीन वर्ष की सेवा की हो अथवा मूल काडर या विभाग में समकक्ष पद धारण किया हुआ है, तथा (ख) परिवहन अवसंरचना से संबंधित मामलों में तीन वर्ष की सेवा सहित प्रशासन अथवा वित्त अथवा प्रबंधन में अठारह वर्षों का अनुभव। (ख) भारतीय वायु सेना के अधिकारी जो: (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (182200/ - 224100/ रू.) में एयर मार्शल की रैंक के अधिकारी जिन्हें उपरोक्त (ख) पर वर्णित अनुभव प्राप्त हो; अथवा (ii) स्तर 14 (144200/ - 218200/रू.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ तथा उपरोक्त (ख) में वर्णित अनुभव के साथ एयर वायस मार्शल रैंक के अधिकारी। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु-सीमा अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

अनुसंधान-सह-चयन समिति की संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
अनुसंधान-सह-चयनः समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति में निम्न शामिल होंगेः- 1. मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष 2. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय -सदस्य 3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग – सदस्य।	लागू नहीं होता है।

[फा. सं. A-12018/4/2015-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(Directorate General of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

G.S.R. 655(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Director General of the Civil Aviation, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General of the Civil Aviation in the Ministry of Civil Aviation, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Director General of Civil Aviation (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix etc.—The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	level in pay matrix.	Whether selection or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director General.	1(2022)* * subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non Ministerial	Level 15 (Rs. 182200/- 224100/-)	Not Applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion or deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	Composition of Search-cum-Selection Committee.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion or deputation: 1. holding post of Joint Director general in the office of Directorate General of Civil Aviation, in level 14 (Rs. 144200/- - 218200/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade. **Note:** The departmental candidates shall be considered along with other candidates applying on deputation basis and in case he is selected for appointment the post shall be deemed to have filed on promotion. 2. **Deputation:-** (A) Officers of the Central Government, State Government or Union Territories Administration including All India Services: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 14 (Rs. 144200/- - 218200/-) or equivalent in the parent cadre or department, and (b) with eighteen years of experience in Administration or Finance or Management including three years in the matters relating to the transport infrastructure. (B). Officers of Indian Air Force: (i) Officers of the rank of Air Marshal in level 15 (Rs. 182200/- - 224100/-) in the pay matrix and having experience as at (b) above; or (ii) Officers of the rank of Air Vice Marshall with three years regular service in Level 14 (Rs. 144200/- - 218200/-) and having experience at (b) above. **Note 1**: The period of deputation, including period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the	**Search-cum-Selection: Committee (for considering promotion or deputation) consisting of:-** 1. Cabinet Secretary - Chairman 2. Secretary, Ministry of Civil Aviation – Member 3. Secretary, Department of Personnel and Training – Member.	Not Applicable.

same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. A-12018/4/2015-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.25 22:26:34 +05'30'